न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 54/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा **बनाम**

1. कपिल बाहेती पुत्र ओमप्रकाश बाहेती मैसर्स राधे प्रोविजन स्टोर, बडौदा ग्रामीण बेंक के पास, बापू नगर, रायला
2. मैसर्स सोडानी ब्रदर्स, बडी पुलिया के पास, सुभाष नगर, भीलवाडा
3. कल्पना देवी सोडानी पत्नी गणेश लाल सोडानी, मैसर्स सोडानी ब्रदर्स
4. मेसर्स कुन्दन एडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज गणेशपुरा बाय पास के पास, ब्यावर – अजमेर

– प्रार्थी **––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित ।

आदेश

दिनांक 12.10.2023

5. शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी कपिल बाहेती पुत्र ओमप्रकाश बाहेती मैसर्स राधे प्रोविजन स्टोर, बडौदा ग्रामीण बेंक के पास, बापू नगर, रायला पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को मूंगफली तेल (जय चित्तौड ब्राण्ड) इत्यादि विकय कर रहा था। कपिल बाहेती पुत्र ओमप्रकाश बाहेती मैसर्स राधे प्रोविजन स्टोर, बडौदा ग्रामीण बेंक के पास, बापू नगर, रायला का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता मूंगफली (जय चित्तौड ब्राण्ड) तेल 500 एमएल की पैक बोतलों में आम जनता को उपभोग हेतु रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5–ए में दी व रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 05.10.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वंय उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि मूंगफली (जय चित्तौड ब्राण्ड) तेल नमूना एक्स–1604 में Nutritional Information – Given but quantity of omega-3 & 6 fatty acid not declared in label. use by/ expiry – absent. Contravention of Regulations No. 5.(3) (b)(ii) (D) and provisio of 5 (3) (c) of Food Safety and standards (Labeling and display) Regulations, 2020 Chapter 2. का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड मूंगफली (जय चित्तौड ब्राण्ड) तेल का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि वर्तमान में विपक्षी पर लगाया गया आक्षेप बेबुनियाद है। विपक्षी द्वारा पैक माल खरीदा जाता हैं एवं पैक ही विक्रय किया जाता हैं। कोई मिलावट नहीं की जाती हैं। निवेदन हैं कि प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./361/एक्ट/2023/383 दिनांक 31.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना सं0 एक्स–1604 **मूंगफली (जय चित्तौड ब्राण्ड) तेल** मिसब्राण्डेड होना पाया गया। **प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि मूंगफली (जय चित्तौड ब्राण्ड) तेल नमूना एक्स–1604 में Nutritional Information – Given but quantity of omega-3 & 6 fatty acid not declared in label. use by/ expiry – absent. Contravention of Regulations No.**

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)

5.(3) (b)(ii) (D) and provisio of 5 (3) (c) of Food Safety and standards (Labeling and display) Regulations, 2020 Chapter 2. का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड मूंगफली (जय चित्तौड ब्राण्ड) तेल का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड मूंगफली (जय चित्तौड ब्राण्ड) तेल का विक्रय/निर्माता द्वारा किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 पर 5,000/– रूपये, विपक्षी संख्या 02 व 03 पर 5,000/–रूपये एवं विपक्षी संख्या 04 पर 11,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 कपिल बाहेती पुत्र ओमप्रकाश बाहेती मैसर्स राधे प्रोविजन स्टोर, बडौदा ग्रामीण बेंक के पास, बापू नगर, रायला को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

3 कल्पना देवी सोडानी पत्नी गणेश लाल सोडानी, मैसर्स सोडानी ब्रदर्स सुभाष नगर भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

4 मेसर्स कुन्दन एडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज गणेशपुरा बाय पास के पास, ब्यावर – अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा